

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं० : 3/4/आईडी/2016/एस.डी.आर(परिषद) (कर्नाटक)

दिनांक: 06 जून, 2016

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
कर्नाटक
बंगलौर।

विषय: स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से कर्नाटक विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन, जिसके लिए 09 जून, 2016 (गुरुवार) को मतदान कराया जाना निर्धारित है – निर्वाचकों की पहचान के संबंध में आयोग का आदेश।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने निदेश दिया है कि कर्नाटक उत्तर-पश्चिम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक दक्षिण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक उत्तर-पश्चिम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और कर्नाटक पश्चिम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में वे सभी निर्वाचक जिन्हें अपने-अपने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचक के रूप में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, उन्हें 16 मई, 2016 को अधिसूचित कर्नाटक की विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचनों में मत देने के लिए मतदान केन्द्रों पर आने पर और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इन पहचान पत्रों को प्रस्तुत करना होगा।

2. इस संबंध में दिनांक 06 जून, 2016 को जारी किए गए आदेश की प्रति संलग्न है। आयोग ने उन निर्वाचकों, जो निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं, के संबंध में पहचान के 12 वैकल्पिक दस्तावेजों को अनुमोदित किया है। सभी पीठासीन अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आदेश के पैरा 4 में दिए गए निर्देशों की ओर आकर्षित किया जाए।

3. पीठासीन अधिकारियों को स्पष्ट रूप से अनुदेश दिया जाए कि निर्वाचक फोटो पहचान पत्र में निर्वाचक के नाम, पिता/माता/पति के नाम, लिंग, आयु व पते से संबंधित प्रविष्टियों में छोटी-मोटी त्रुटियों को नजर अन्दाज किया जाए तथा यदि उस पहचान पत्र के माध्यम से निर्वाचक की पहचान स्थापित की जा सके तो निर्वाचक को अपना मत देने की अनुमति दी जाए।

4. आयोग के दिनांक 06 जून, 2016 के आदेश को राज्य के राजपत्र में तत्काल प्रकाशित किया जाए। द्विवार्षिक निर्वाचनों के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियों, पीठासीन अधिकारियों तथा संबंधित सभी अन्य प्राधिकारियों को आयोग के निर्देशों के बारे में तत्काल सूचित किया जाए। आम जनता तथा निर्वाचकों की सूचना के लिए प्रिन्ट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से तथा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, उन्हें इसे अपने साथ लाना चाहिए तथा यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि जिनके पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं हैं, उन्हें मतदान के समय आयोग द्वारा निर्दिष्ट कोई भी वैकल्पिक दस्तावेज लाना चाहिए। आपके राज्य में सभी राजनीतिक दलों को तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को आयोग के इस निदेश के बारे में भी लिखित में सूचित किया जाए।

5. रिटर्निंग अधिकारी(यों) को अनुदेश दिया जाए कि वे इस आदेश की विवक्षाएं नोट करें तथा सभी पीठासीन अधिकारियों को विशेष ब्रीफिंगों के माध्यम से इसकी विषय वस्तु से अवगत कराएं। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदान केन्द्रों पर पीठासीन अधिकारियों के पास इस पत्र की प्रति उपलब्ध हो।

6. कृपया पावती दें तथा की गई कार्रवाई की पुष्टि करें।

भवदीय,

(एन टी भुटिया)
अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं० : 3/4/आई डी/2016/एस.डी.आर(परिषद) (कर्नाटक)

दिनांक : 06 जून, 2016

आदेश

यतः भारत निर्वाचन आयोग लोक सभा तथा विधान सभाओं के निर्वाचनों में निर्दिष्ट पहचान दस्तावेजों के माध्यम से निर्वाचकों की अनिवार्य पहचान करने की नीति का वर्ष 2000 से अनुसरण कर रहा है ताकि निर्वाचनों में प्रतिरूपण को रोका जा सके और परिणामस्वरूप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62 के अन्तर्गत, वास्तविक निर्वाचकों के मताधिकार को और प्रभावी बनाया जा सके; और

2. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 35 (3) और 37 (2) (ख) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि लोक सभा और विधान सभाओं के निर्वाचनों में निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र या अन्य विशिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा और उनकी ओर से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र या दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहने या मना करने के परिणामस्वरूप उनको डाक मत पत्र की आपूर्ति और मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी; और

3. यतः, प्रतिरूपण के विरुद्ध निर्वाचकों की पहचान और पूर्वापाय किए जाने के संबंध में उक्त प्रावधान स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन पर भी समान रूप से लागू हैं और चूंकि इन निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में भी निर्वाचक हैं, इसलिए उनके सम्बन्धित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचकों के रूप में उन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों की आपूर्ति की गई होगी;

4. अतः, अब, सभी संगत कारकों और विधिक और तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि दिनांक 06 जून, 2016 को अधिसूचित कर्नाटक राज्य में कर्नाटक उत्तर-पश्चिम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक दक्षिण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक उत्तर-पश्चिम शिक्षक, निर्वाचन क्षेत्र और कर्नाटक पश्चिम शिक्षक, निर्वाचन क्षेत्र में द्विवार्षिक निर्वाचनों में सभी निर्वाचकों को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए इन पहचान पत्रों को तब प्रस्तुत करना होगा जब वे 16 मई, 2016 की अधिसूचित उक्त निर्वाचन क्षेत्रों से कर्नाटक विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन में मतदान करने के लिए मतदान केन्द्रों पर आते हैं। हालांकि वे निर्वाचक जो अपना एपिक प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कोई एक वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :-

- I. पासपोर्ट,
- II. ड्राइविंग लाइसेंस,
- III. राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान-पत्र।
- IV. बैंक/पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोग्राफ सहित पासबुक (दिनांक 31-05-2016 को या उससे पहले खोला गया खाता)
- V. आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड)
- VI. एन पी आर के अधीन आर जी आई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड।
- VII. स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटोग्राफ सहित (श्रम मंत्रालय की योजना 31-05-2016 तक जारी)
- VIII. पेंशन दस्तावेज फोटोग्राफ सहित (31-05-2016)
- IX. स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, फोटोग्राफ सहित।
- X. हथियार लइसेंस, फोटोग्राफ सहित (31-05-2016 तक जारी)

- XI. शारररक रूड से नरशकुकतर कल डुरडलण डडुर, सकुषड डुरलधरकररी दुरवलर कलरी डुडुडुगुरलडु सहरत (31-05-2016 तक कलरी)
- XII. डूरुव सैनुक कल सीडुसडी केनुतीन कलरुड, डुडुडुगुरलडु सहरत।

डुवदीडु,

(अनुक कडुडुरररडु)
सकरव